THE NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY
Kerwa Dam Road, Bhopal- 462044 (M.P.), India

Advertisement For the Continuing Legal Education (CLE) Programme

Applications are invited from eligible Indian citizens for the CLE Programme under the Project Nyaya Sewa, funded by the Azim Premji Foundation.

Intake of Participants	**30**
Last Date to Apply	**5th December 2026**
Commencement Date	**January 2027**
Eligibility Criteria	**2-5 years of experience and enrolled in State Bar Council**

NLIU Bhopal, in collaboration with the Azim Premji Foundation, invites applications from eligible candidates for its Continuing Legal Education (CLE) Programme, run under Project Nyaya Sewa. The Programme pairs participants with senior advocates and academics who will help sharpen their research, drafting, communication and advocacy skills. It also builds awareness of laws specific to Madhya Pradesh and creates space for networking and career growth. Candidates who clear the written test at the end will receive a certificate of completion.

Spanning six months, the Programme is designed to strengthen the litigation skills of young lawyers through structured mentorship, closing gaps that often exist in early legal practice. As part of the initiative, NLIU will also carry out a survey of district courts to understand caseload patterns. Through a mix of hands-on training, professional development and broader reforms, the University hopes to improve access to justice, empower the legal community, and leave a lasting mark on marginalised communities across Madhya Pradesh.

About National Law Institute University (NLIU), Bhopal

The National Law Institute University, Bhopal was established the by Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, Act No. 41 of 1997, and substituted by Act No. 6 of 2018, enacted by the Madhya Pradesh State Legislature. Nestled in a serene campus near Kerwa Dam, NLIU is one of India's most prominent law schools. Renowned for its interdisciplinary legal education and research excellence, the university aspires to become one of the world's leading centers of legal education, training, and research. Its mission is to develop and nurture intellect for the betterment of the nation and humanity through law and justice. NLIU aims to impart and

disseminate comprehensive legal education to achieve excellence by organizing progressive study programs and promoting research. The university focuses on enhancing students' and research scholars' ability to analyse contemporary public concerns and their legal implications, equipping law learners with the skills to advance legal education in a professional and responsible manner.

About Project Nyaya Sewa

Project Nyaya Sewa is a legal action and intervention initiative dedicated to strengthening access to legal aid, promoting fair trial rights, and ensuring justice for undertrial prisoners and marginalized communities within the criminal justice system. The project seeks to bridge systemic gaps between law and lived realities, particularly for those who remain unheard and unrepresented. The Initiative operates at the intersection of legal research, policy advocacy, capacity building, and grassroots engagement, with a focused commitment to improving both access to justice and the quality of legal representation.

About the Programme:

The CLE Programme under Project Nyaya Sewa is designed to equip young lawyers from across Madhya Pradesh with the practical skills and mentorship needed to grow in litigation practice. Over six months, participants get hands-on training in drafting, research, communication and advocacy, guided directly by senior advocates and academicians — the kind of grounding that's often hard to come by in the early years of practice. The Programme also builds participants' understanding of Madhya Pradesh-specific laws, sharpening skills they can put to use in courts across the state. Alongside this, it opens up space for networking with peers and mentors, helping participants build professional connections that support their growth well beyond the training itself.

Objectives of the Programme

i. Bridge theory and practice, and build core litigation competence: To help young lawyers translate academic legal knowledge into courtroom practice by strengthening their grasp of civil and criminal procedure, court etiquette, filing processes and case management, and by keeping them current with recent laws, amendments and precedents.

ii. Develop drafting, research and case-preparation skills: To train participants to draft plaints, written statements, applications, affidavits, legal notices and other court documents with precision, to interview clients and analyse cases, and to use legal databases, citation practices and digital tools for efficient research.

iii. Strengthen advocacy, professional ethics and practice management: To improve oral arguments, cross-examination and courtroom conduct through simulated practice, while reinforcing the Bar Council's Code of Conduct, client confidentiality and conflict-of-interest principles, and building soft skills such as time management, client communication, negotiation and basic office administration.

iv. Foster mentorship, community and social responsibility: To connect young lawyers with senior advocates and judicial officers for guidance, to build a peer support network within the Nyaya Sewa framework for long-term professional growth, and to sensitize them to legal aid and pro bono duties through participation in Lok Adalats and legal aid clinics.

Programme Structure

The CLE Programme will run in four batches spread across two years.

1. Applications are currently open for the first batch, which begins in January 2027.
2. Every participant must complete at least five training phases within a six-month window, with each phase made up of two residential training days. (One phase= two offline classes and one online class)
3. The Programme is fully residential for the participants. Accommodations and Hospitality including food shall be provided by the Project.
4. Attendance is compulsory for the overall training programme.
5. Absences will only be excused on medical grounds with valid proof; unexcused absences may result in disqualification.
6. A certificate is issued only to those who complete all mandatory training phases (5) and qualify the written test at the end of the Programme.

7. Participants are expected to follow the University's code of conduct and maintain professional discipline throughout.
8. Any misconduct may result in immediate removal from the Programme.
9. Seats are non-transferable, and no substitution of candidates will be allowed once selections are made.
10. The Programme Director reserves the right to change the schedule, revise the content, or cancel the Programme if circumstances require it.

Responsibilities of the Participants

1. Take an active part in all sessions, workshops, group activities and assessments held during the Programme.
2. Follow all campus rules for the duration of the Programme.
3. Report on time for each training phase late arrival may affect both participation and certification.
4. Complete any assignments, practical exercises or field tasks given by the resource persons.
5. Remember that lawyers from all district are taking part, so each participant represents their district and is expected to uphold decorum and professional integrity.
6. Maintain confidentiality about case discussions, interactions with peers, and any sensitive material shared during the training.

Eligibility Criteria

The Programme shall accommodate 30 participants. Interested participants may fulfill the following criteria-

1. Age & Experience: Open to young lawyers with 2-5 years of practice. The candidate must have completed their Law Degree.
2. Enrollment: Enrollment with the Madhya Pradesh State Bar Council or any other State Bar Council in India is must.
3. District Representation: Open to applicants from every district of Madhya Pradesh; selection will aim for representation across the state.

4. Representation of Marginalised Communities: Candidates included but not limited to SC/ST and OBC category and Women will be given priority.
5. Commitment: Applicants must commit to attending all training phases and fulfilling the residential requirement.

Selection Process

1. Application Screening: All applications received before the deadline will be checked for completeness and eligibility. The Candidates are required to upload a video of themselves (3 minutes maximum and does not exceed 100 MB) along with the other required documents.

 The video shall include the following -
 - **Self introduction.**
 - **Your motivation to join the Project Nyaya Sewa (CLE Programme).**
 - **Why do you think you are a good fit for the programme?**
 - **How do you contribute to the programme and how do you aim to implement the learnings of the programme in the legal arena/society?**
2. District-Based Shortlisting: Shortlisting will be done to ensure fair representation from all districts.

Preference Parameters:

Extra weight may be given for -

1. Experience in legal aid work.
2. Involvement with district legal services authorities.
3. A demonstrated interest in public service and access-to-justice work.
4. A demonstrated interest in criminal justice reforms and community service.
5. First Generation Lawyers

Final Selection of Candidates

1. The final list of candidates will be approved by the Programme Director in coordination with the Deputy Directors of the Project.
2. Candidates who are selected will be informed by email.

THE NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY
Kerwa Dam Road, Bhopal- 462044 (M.P.), India

Final Waiting List

A limited waiting list will be kept to fill any seats that open up due to non-confirmation or withdrawal.

Application Process

Online Application: Interested candidates should fill in the application form attached with this document and upload a scanned copy as instructed by **5th December 2026.**

Supporting Documents Required:

1. Aadhaar Card
2. Enrollment Certificate
3. Final Degree
4. Caste/Community Certificate (where applicable)
5. Experience Certificates or other supporting documents (if any)
6. Resume/CV (Maximum of Two pages)

Submission Deadline: Applications must be submitted by the specified date; late submissions will not be considered.

Confirmation of Participation: Selected candidates must confirm their participation by the given date, failing which the seat may be offered to a waitlisted candidate.

Programme Fee: ***The Programme is free of cost, though selected candidates will need to cover their own travel expenses.*** Accommodations and Food shall be provided by the Project.

Contact Details

Mobile No. *– +91-9009843643, +91-6264686140*

Email *- nliuapfprogram@nliu.ac.in*
Address *– Project Nyaya Sewa Office, Third Floor, Gyan Mandir, National Law Institute University, Kerwa Dam Road, Bhopal, 462044*

Link to the Google form - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekaU-JWx_8jVLwXv-O0y5osUVYXpBJLu84-K4xE90INbqOxw/viewform

11/11/2026

Prof. [Dr.] Bir Pal Singh
Programme Director
Project *Nyaya Sewa*

Dr. Bir Pal Singh
Professor
National Law Institute University
BHOPAL

विज्ञापन: सतत कानूनी शिक्षा (CLE) कार्यक्रम के लिए

अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित प्रोजेक्ट न्याय सेवा के अंतर्गत CLE कार्यक्रम के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित हैं।

प्रतिभागियों की संख्या	30
आवेदन की अंतिम तिथि	05 दिसम्बर 2026
प्रारंभ तिथि	जनवरी 2027
पात्रता मानदंड	2-5 वर्ष का अनुभव और राज्य बार काउंसिल में नामांकित

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (NLIU), भोपाल, अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से, प्रोजेक्ट न्याय सेवा के अंतर्गत संचालित अपने सतत विधिक शिक्षा (CLE) कार्यक्रम के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को वरिष्ठ अधिवक्ताओं और शिक्षाविदों के साथ जोड़ा जाता है, जो उनके शोध, प्रारूपण (ड्राफ्टिंग), संप्रेषण और पैरवी कौशल को निखारने में मदद करेंगे। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश से जुड़े विशिष्ट कानूनों की समझ भी विकसित करता है और नेटवर्किंग तथा करियर विकास के अवसर प्रदान करता है। अंत में होने वाली लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को पूर्णता प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

छह माह की अवधि वाला यह कार्यक्रम संरचित मार्गदर्शन (मेंटरशिप) के माध्यम से युवा अधिवक्ताओं के मुकदमेबाज़ी संबंधी कौशल को मज़बूत करने के लिए बनाया गया है, ताकि वकालत के शुरुआती वर्षों में अक्सर दिखने वाली कमियों को दूर किया जा सके। इस पहल के तहत NLIU जिला न्यायालयों में लंबित मामलों के रुझान को समझने के लिए उनका सर्वेक्षण भी करेगा। व्यावहारिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक विकास और व्यापक सुधारों के मिश्रण के ज़रिए विश्वविद्यालय का लक्ष्य न्याय तक पहुँच में सुधार करना, विधिक समुदाय को सशक्त बनाना और मध्य प्रदेश के वंचित समुदायों पर स्थायी प्रभाव छोड़ना है।

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (NLIU), भोपाल के बारे में

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल की स्थापना मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम (राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम) क्रमांक 41, 1997 के अंतर्गत हुई थी, जिसे बाद में अधिनियम क्रमांक 6, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। केरवा बाँध के निकट एक शांत परिसर में स्थित NLIU भारत के प्रमुख विधि विद्यालयों में गिना जाता है। अंतर्विषयक विधिक शिक्षा और शोध-उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध यह विश्वविद्यालय विधिक शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध के विश्व के अग्रणी केंद्रों में से एक बनने की आकांक्षा रखता है। इसका ध्येय है कि विधि और न्याय के माध्यम से राष्ट्र और मानवता के कल्याण के लिए बौद्धिक क्षमता का विकास और संवर्धन किया जाए। NLIU प्रगतिशील अध्ययन कार्यक्रमों के आयोजन और शोध को बढ़ावा देकर व्यापक विधिक शिक्षा प्रदान करने और उसका प्रसार करने का लक्ष्य रखता है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों और शोधार्थियों की समकालीन जन-चिंताओं और उनके विधिक निहितार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देता है, ताकि विधि के शिक्षार्थी विधिक शिक्षा को व्यावसायिक और ज़िम्मेदार ढंग से आगे बढ़ाने में सक्षम हों।

प्रोजेक्ट न्याय सेवा के बारे में

प्रोजेक्ट न्याय सेवा एक विधिक कार्रवाई और हस्तक्षेप संबंधी पहल है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली में विधिक सहायता तक पहुँच को सुदृढ़ करने, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों को बढ़ावा देने तथा विचाराधीन कैदियों और हाशिये के समुदायों को न्याय दिलाने के लिए समर्पित है। यह परियोजना कानून और ज़मीनी वास्तविकताओं के बीच की व्यवस्थागत खाइयों को पाटने का प्रयास करती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ अनसुनी रह जाती है और जिन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। यह पहल विधिक शोध, नीतिगत पैरवी, क्षमता निर्माण और जमीनी स्तर की भागीदारी के संगम पर कार्य करती है, और न्याय तक पहुँच तथा विधिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता, दोनों को बेहतर बनाने के प्रति विशेष रूप से प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम के बारे में

प्रोजेक्ट न्याय सेवा के अंतर्गत CLE कार्यक्रम मध्य प्रदेश भर के युवा अधिवक्ताओं को वे व्यावहारिक कौशल और मार्गदर्शन देने के लिए बनाया गया है, जो मुकदमेबाज़ी की वकालत में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। छह माह के दौरान प्रतिभागियों को प्रारूपण, शोध, संप्रेषण और पैरवी का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलता है, जिसका मार्गदर्शन सीधे वरिष्ठ अधिवक्ता और शिक्षाविद करते हैं। वकालत के शुरुआती वर्षों में ऐसी बुनियाद मिलना प्रायः कठिन होता है। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों में मध्य प्रदेश के विशिष्ट कानूनों की समझ भी विकसित करता है, जिससे वे राज्य भर की अदालतों में उपयोगी कौशल हासिल कर सकें। इसके साथ ही यह साथियों और मार्गदर्शकों के साथ नेटवर्किंग का अवसर देता है, जिससे प्रतिभागी ऐसे व्यावसायिक संबंध बना सकें जो प्रशिक्षण के बाद भी उनके विकास में सहायक हों।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. **सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटना तथा मूलभूत मुकदमेबाज़ी क्षमता विकसित करना:** युवा अधिवक्ताओं को शैक्षणिक विधिक ज्ञान को न्यायालयीन अभ्यास में बदलने में सहायता करना, इसके लिए सिविल एवं आपराधिक प्रक्रिया, न्यायालय शिष्टाचार, दाखिल करने की प्रक्रियाओं तथा वाद प्रबंधन की उनकी समझ को सुदृढ़ करना, और नवीनतम कानूनों, संशोधनों एवं न्यायिक दृष्टांतों से उन्हें अद्यतन रखना।

2. **प्रारूपण, शोध और वाद-तैयारी कौशल विकसित करना:** प्रतिभागियों को वादपत्र, लिखित कथन, आवेदन, शपथपत्र, विधिक नोटिस एवं अन्य आवश्यक न्यायालयीन दस्तावेज़ सटीकता और स्पष्टता के साथ तैयार करने का प्रशिक्षण देना, मुवक्किलों से परामर्श लेने एवं प्रकरण का विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाना, तथा कुशल शोध के लिए विधिक डेटाबेस, उद्धरण-पद्धतियों और डिजिटल उपकरणों से परिचित कराना।

3. **वकालत कौशल, व्यावसायिक नैतिकता और प्रैक्टिस प्रबंधन को सुदृढ़ करना:** अनुकरण-अभ्यास (सिमुलेशन) के माध्यम से मौखिक तर्क, प्रतिपरीक्षण एवं न्यायालय में आचरण को बेहतर बनाना, साथ ही बार काउंसिल की आचार-संहिता, मुवक्किल की गोपनीयता और हितों के टकराव संबंधी सिद्धांतों को पुष्ट करना, तथा समय प्रबंधन, मुवक्किल से संवाद, वार्ता-कौशल और बुनियादी कार्यालय प्रशासन जैसे व्यावहारिक कौशल विकसित करना।

4. **मार्गदर्शन, सामुदायिक सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना:** युवा अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं न्यायिक अधिकारियों से मार्गदर्शन हेतु जोड़ना, न्याय सेवा (Nyaya Sewa) के ढाँचे के भीतर दीर्घकालिक व्यावसायिक विकास के लिए सहयोगी समूह (पीयर नेटवर्क) बनाना, और लोक अदालतों तथा विधिक सहायता क्लिनिकों में भागीदारी के माध्यम से उन्हें विधिक सहायता एवं निःशुल्क (प्रो बोनो) सेवा के दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाना।

कार्यक्रम की संरचना

- CLE कार्यक्रम दो वर्षों में चार बैचों में आयोजित किया जाएगा।
- पहले बैच के लिए आवेदन वर्तमान में खुले हैं, जो जनवरी 2027 में शुरू होगा।
- प्रत्येक प्रतिभागी को छह माह की अवधि के भीतर कम से कम पाँच प्रशिक्षण चरण पूरे करने होंगे, और प्रत्येक चरण दो आवासीय प्रशिक्षण दिवसों का होगा।(एक चरण = दो ऑफ़लाइन कक्षाएं और एक ऑनलाइन कक्षा)
- यह कार्यक्रम प्रतिभागियों के लिए पूर्णतः आवासीय है।परियोजना की ओर से ठहरने की व्यवस्था और आतिथ्य (जिसमें भोजन भी शामिल है) उपलब्ध कराया जाएगा।
- समग्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति अनिवार्य है।

- अनुपस्थिति केवल उचित प्रमाण सहित चिकित्सीय आधार पर ही क्षम्य होगी; अकारण अनुपस्थिति पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- प्रमाण-पत्र केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो सभी अनिवार्य प्रशिक्षण चरण पूरे करेंगे और कार्यक्रम के अंत में होने वाली लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे।
- प्रतिभागियों से अपेक्षा है कि वे विश्वविद्यालय की आचार संहिता का पालन करें और पूरे कार्यक्रम के दौरान व्यावसायिक अनुशासन बनाए रखें।
- किसी भी प्रकार के दुराचरण पर कार्यक्रम से तत्काल निष्कासन किया जा सकता है।
- सीटें अंतरणीय नहीं हैं, और चयन हो जाने के बाद किसी अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरे अभ्यर्थी को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं होगी।
- परिस्थितियों की माँग होने पर कार्यक्रम निदेशक को समय-सारणी बदलने, पाठ्यक्रम में संशोधन करने या कार्यक्रम रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रतिभागियों के दायित्व

- कार्यक्रम के दौरान आयोजित सभी सत्रों, कार्यशालाओं, समूह गतिविधियों और मूल्यांकनों में सक्रिय भागीदारी करना।
- कार्यक्रम की अवधि में परिसर के सभी नियमों का पालन करना।
- प्रत्येक प्रशिक्षण चरण के लिए समय पर पहुँचना; देर से आने का असर भागीदारी और प्रमाणन दोनों पर पड़ सकता है।
- संसाधन व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन) द्वारा दिए गए सभी असाइनमेंट, व्यावहारिक अभ्यास या क्षेत्रीय कार्य पूरे करना।
- यह ध्यान रखना कि सभी जिलों के अधिवक्ता इसमें भाग ले रहे हैं, इसलिए प्रत्येक प्रतिभागी अपने जिले का प्रतिनिधित्व करता है और उससे गरिमा तथा व्यावसायिक सत्यनिष्ठा बनाए रखने की अपेक्षा है।
- मामलों की चर्चा, साथियों के साथ बातचीत और प्रशिक्षण के दौरान साझा की गई किसी भी संवेदनशील सामग्री की गोपनीयता बनाए रखना।

पात्रता मानदंड

कार्यक्रम में 30 प्रतिभागियों को शामिल किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी निम्नलिखित मानदंड पूरे करते हों:

- **आयु और अनुभव:** 2 से 5 वर्ष की वकालत का अनुभव रखने वाले युवा अधिवक्ता आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की विधि की उपाधि पूर्ण होना आवश्यक है।
- **नामांकन (एनरोलमेंट):** मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल या भारत की किसी अन्य राज्य बार काउंसिल में नामांकन अनिवार्य है।
- **जिलावार प्रतिनिधित्व:** मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के आवेदक आवेदन कर सकते हैं; चयन में पूरे राज्य से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
- **हाशिये के समुदायों का प्रतिनिधित्व:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं सहित (परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- **प्रतिबद्धता:** आवेदकों को सभी प्रशिक्षण चरणों में उपस्थित रहने और आवासीय अनिवार्यता पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा।

चयन प्रक्रिया

आवेदनों की छँटनी: समय-सीमा से पहले प्राप्त सभी आवेदनों की पूर्णता और पात्रता की जाँच की जाएगी। अभ्यर्थियों को अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपना एक वीडियो अपलोड करना होगा (अधिकतम 3 मिनट का, और 100 MB से अधिक नहीं)।

वीडियो में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए:

1. स्वयं का परिचय।
2. प्रोजेक्ट न्याय सेवा (CLE कार्यक्रम) से जुड़ने की आपकी प्रेरणा।
3. आपको क्यों लगता है कि आप इस कार्यक्रम के लिए उपयुक्त हैं?
4. आप कार्यक्रम में क्या योगदान देंगे और कार्यक्रम से प्राप्त सीख को विधिक क्षेत्र/समाज में कैसे लागू करने का लक्ष्य रखते हैं?

जिला-आधारित शॉर्टलिस्टिंग: सभी जिलों से उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी।

वरीयता के मापदंड:

निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त महत्व दिया जा सकता है:

- विधिक सहायता कार्य का अनुभव।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से जुड़ाव।
- लोक सेवा और न्याय तक पहुँच के कार्यों में प्रदर्शित रुचि।
- आपराधिक न्याय सुधारों और सामुदायिक सेवा में प्रदर्शित रुचि।
- पहली पीढ़ी के वकीलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

अभ्यर्थियों का अंतिम चयन: अभ्यर्थियों की अंतिम सूची को कार्यक्रम निदेशक, परियोजना के उप-निदेशकों के समन्वय से अनुमोदित करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा।

अंतिम प्रतीक्षा सूची: पुष्टि न होने या नाम वापस लेने के कारण खाली होने वाली सीटों को भरने के लिए एक सीमित प्रतीक्षा सूची रखी जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन: इच्छुक अभ्यर्थी इस दस्तावेज़ के साथ संलग्न आवेदन पत्र भरें और निर्देशानुसार उसकी स्कैन की हुई प्रति **05 दिसम्बर 2026** तक अपलोड करें।

आवश्यक सहायक दस्तावेज़:

- आधार कार्ड
- नामांकन प्रमाण-पत्र (एनरोलमेंट सर्टिफिकेट)
- अंतिम उपाधि (डिग्री)
- जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो)
- अनुभव प्रमाण-पत्र या अन्य सहायक दस्तावेज़ (यदि कोई हों)
- रिज्यूमे/सीवी (अधिकतम दो पृष्ठ)

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: आवेदन निर्धारित तिथि तक जमा किए जाने चाहिए; विलंब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

भागीदारी की पुष्टि: चयनित अभ्यर्थियों को दी गई तिथि तक अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी, अन्यथा उनकी सीट प्रतीक्षा सूची के किसी अभ्यर्थी को दी जा सकती है।

कार्यक्रम शुल्क: कार्यक्रम निःशुल्क है, हालाँकि चयनित अभ्यर्थियों को अपनी यात्रा का व्यय स्वयं वहन करना होगा।

संपर्क विवरण

- **मोबाइल नं.:** +91-9009843643, +91-6264686140
- **ईमेल:** nliuapfprogram@nliu.ac.in
- **पता:** प्रोजेक्ट न्याय सेवा कार्यालय, तीसरी मंजिल, ज्ञान मंदिर, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, केरवा बाँध रोड, भोपाल, 462044
- **गूगल फॉर्म का लिंक:** https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekaU-JWx_8jVLwXv-O0y5osUVYXpBJLu84-K4xE90INbqOxw/viewform

11/11/2026

प्रो. [डॉ.] बीर पाल सिंह
कार्यक्रम निदेशक
परियोजना न्याय सेवा

Dr. Bir Pal Singh
Professor
National Law Institute University
BHOPAL